रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-72

REGISTERED No. D. (D.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 331] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 4, 1978/आषाढ़ 13, 1900

No. 331] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 4, 1978/ASADHA 13, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

नई दिल्ली, 4 जुलाई, 1978

आदेश

का०आ० 430(अ)/18 च ख/आई०डी०आर०ए०/78.—भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश संख्या का० आ० 519(अ)/18 च ख/आई०डी०आर०ए०/77, तारीख 4 जुलाई, 1977 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 च ख की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा की थी कि उक्त आदेश के जारी होने की तारीख से ठीक पूर्व प्रवृत्त सभी संविदाओं, सम्पत्ति के हस्तान्तरण पत्रों, करारों, व्यवस्थाओं, पंचाटों, स्थायी आदेशों या अन्य लिखितों का (जो बैंक आफ इण्डिया के नगद-उधार खाते को शोध्य दायित्वों के उस सीमा तक छोड़ कर जिस सीमा तक वे चालू आस्तियों के अन्तर्गत आते हैं), जिनका कि मैसर्स वेस्टर्न इण्डिया स्पिनिंग एण्ड मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड, बम्बई नामक औद्योगिक उपक्रम एक पक्षकार है या जो उक्त औद्योगिक उपक्रम एक पक्षकार है या जो उक्त औद्योगिक उपक्रम को लागू हों, प्रवर्तन उक्त तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए निलम्बित रहेगा और उक्त तारीख से पूर्व सद्दीन प्रदभूत या उद्भूत होने वाले सभी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यताएं और दायित्वों उक्त अवधि के लिए निलम्बित रहेंगे;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त आदेश की अस्तित्वावधि एक वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा दी जानी चाहिए;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 च ख की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त आदेश की अस्तित्वावधि 3 जुलाई, 1979 तक, जिसमें यह दिन भी सम्मिलित है, कि और अवधि के लिए बढ़ाती है।

[सं० फा० 3(18)75-सी०यू०सी०]

जी० एन० मेहरा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

New Delhi, the 4th July, 1978

ORDER

S.O. 430(E)/18FB/IDRA/78.—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 519(E)/18FB/IDRA/77 dated the 4th July, 1977 (hereinafter referred to as the said Order), the Central Government in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of

section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), declared that the operations of all or any of the contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force immediately before the date of issue of the said Order (other than the liabilities to the Bank of India cash and credit account and to the extent that these are covered in the current assets) to which the industrial undertaking known as Messrs. Western India Spinning and Manufacturing Company Limite, Bombay, is a party or which may be applicable to the said industrial undertaking shall remain suspended for a period of one year from the said date and that all the rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date shall remain suspended for the said period ;

And whereas the Central Government is satisfied that the duration of the said Order should be extended for a further period of one year ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with sub-section (2), of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby extends the duration of the said Order for a further period upto and inclusive of the 3rd July, 1979.

[File No. 3/18/75-CUC]

G. N. MEHRA, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1978